



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/

जयपुर, दिनांक-

5-11-2014

15/1

अधिसूचना:-

विभागीय अधिसूचना संख्या एफ 15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/510 दिनांक 02.06.2014 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994/1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 के तहत प्रस्तुत शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा संघीत जिले के जिला कलेक्टर एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किये जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रण करने एवं उन पर पुनर्वाई करने के कार्य हेतु अधिकृत किया गया था।

जिला कलेक्टर द्वारा उपर्युक्त कार्यवाई किये जाने के पश्चात् उनके द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों एवं की गई अनुरोधों का परीक्षण कर प्रस्तावों को संबंधित संभागीय आयुक्त द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के पश्चात् **झुझुनू** जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया जा चुका है और कि:-

1. **झुझुनू** जिले की निम्नलिखित पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित पंचायत समितियां उस नाम से जानी जायेंगी जो कि नीचे वर्णित अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित है;
2. वह स्थानीय क्षेत्र जित पर इस प्रकार पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित और अनुसूची के स्तम्भ 4 में यथानामित पंचायत अधिकांशता का प्रयोग करनी ऐसा होगा जैसा कि स्तम्भ 5 में वर्णित है;
3. अनुसूची के स्तम्भ संख्या 4 में यथावर्णित पंचायत समितियों के द्वारा छ: माह में पूर्ण करवाने के आदेश दिये जाते हैं;
4. और यथावत आदेश से द्वारा के पश्चात् उक्त जिले की विद्यमान वे पंचायत समितियां जो अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में वर्णित हैं उस तारीख से हो विद्यमान नहीं रहेंगी और कार्य करना बन्द कर देनी जिससे अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित पंचायत समितियों का कार्यकाल प्रारम्भ होगा।

क्र.सं.	वर्तमान पंचायत समिति का नाम एवं मुख्यालय	वर्तमान पंचायत समिति में सम्मिलित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित/नवसृजित पंचायत समिति का नाम एवं मुख्यालय	पुनर्गठित/नवसृजित पंचायत समिति में सम्मिलित ग्रामों का नाम	
1	झुझुनू	2	3	4	5
1	झुझुनू	1. लालपुर	संक्षेप	1. लालपुर	1. लालपुर
		2. बुढाना		2. बुढाना	2. बुढाना
		3. कासिमपुरा		3. कासिमपुरा	3. कासिमपुरा
		4. प्रतापपुरा		4. प्रतापपुरा	4. प्रतापपुरा
		5. नयासर		5. नयासर	5. नयासर
		6. शेखसर		6. शेखसर	6. शेखसर
		7. सिगाडा		7. सिगाडा	7. सिगाडा
		8. मेहरावासी		8. मेहरावासी	8. मेहरावासी
		9. कुहाड़		9. कुहाड़	9. कुहाड़
		10. मीनसर		10. मीनसर	10. मीनसर
		11. डाबसर		11. डाबसर	11. डाबसर
		12. सूरियासर कला		12. सूरियासर कला	12. सूरियासर कला
		13. माक		13. माक	13. माक
		14. बाहिरपुरा		14. बाहिरपुरा	14. बाहिरपुरा
		15. मोजासर		15. मोजासर	15. मोजासर
		16. बहादुरवाल		16. बहादुरवाल	16. बहादुरवाल
		17. हनुमानपुरा		17. हनुमानपुरा	17. हनुमानपुरा
		18. अजीलागढ		18. अजीलागढ	18. अजीलागढ
		19. बूडी धतरपुरा		19. बूडी धतरपुरा	19. बूडी धतरपुरा
		20. भूआ		20. भूआ	20. भूआ
		21. उदालास		21. उदालास	21. उदालास
		22. पुरोहिता की बाणी		22. पुरोहिता की बाणी	22. पुरोहिता की बाणी
		23. कुलोद कला		23. कुलोद कला	23. कुलोद कला
		24. राजपुर नया		24. राजपुर नया	24. राजपुर नया
		25. जयप्रसादी		25. जयप्रसादी	25. जयप्रसादी
		26. माजर		26. माजर	26. माजर
		27. गडुना खूद		27. गडुना खूद	27. गडुना खूद

2	विद्यावा	26. इण्डाली	28. इण्डाली
		29. पातुररी	29. पातुररी
		30. बाकरा	30. बाकरा
		31. बीबासर	31. बीबासर
		32. बीसनपुरा	32. बीसनपुरा
		33. बास नाना	33. बास नाना
		34. अजाडी कला	34. अजाडी कला
		35. इस्लामपुर	35. इस्लामपुर
		36. देरवाला	36. देरवाला
		37. भड्डना कला	37. भड्डना कला
	विद्यावा	1. बगवा	1. बगवा
		2. तिग्यास	2. तिग्यास
		3. मण्डौला	3. मण्डौला
		4. लावा	4. लावा
		5. धतरवाला	5. धतरवाला
		6. बदनागढ	6. बदनागढ
		7. बुझनिया	7. बुझनिया
		8. अलिपुर	8. अलिपुर
		9. खुडाना	9. खुडाना
		10. बख्तावपुरा	10. बख्तावपुरा
		11. गोडडा नुनिया	11. गोडडा नुनिया
		12. गोडडा लाम्बा	12. गोडडा लाम्बा
		13. नरहड	13. नरहड
		14. अरडावला	14. अरडावला
		15. रसापुरा	15. रसापुरा
		16. आजदू	16. आजदू
		17. नारी	17. नारी
		18. मानरवासी	18. मानरवासी
		19. केरपुरा कला	19. केरपुरा कला
		20. फिशोरपुरा	20. फिशोरपुरा
		21. रयालाना	21. रयालाना
		22. गोडला	22. गोडला
		23. बनना	23. बनना
		24. रूकाना	24. रूकाना
		25. किराना	25. किराना
		26. सुलताना	26. सुलताना
		27. सारी	27. सारी
		28. गिडानिया	28. गिडानिया
		29. गडुदा कला	29. गडुदा कला

राज्यपाल की आज्ञा से

(राजेश यादव)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूतगार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान।
2. शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशेष शासन सचिव राज00 जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान।
7. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलेक्टर।
9. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय नुदुगातर जयपुर को प्रकाशनाथ।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद- समस्त।
11. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव(सचि)



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2014/

1482

जयपुर, दिनांक-
5-11-2014

अभिप्रेतः

विभागीय अधिसूचना संख्या एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2014/510 दिनांक 02.08.2014 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्संयोजन/नवसृजन किये जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रण करने एवं उन पर सुनवाई करने के कार्य हेतु अधिवृत्त किया गया था।

जिला कलेक्टर द्वारा उपर्युक्त कार्यवाई किये जाने के पश्चात् उनके द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों एवं की गई अभिसंधियों का परीक्षण कर, प्रस्तावों को संबंधित स्थानीय आग्रुवत द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के पश्चात् शुम्भर जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों का पुनर्गठन/पुनर्संयोजन/नवसृजन किया जा चुका है और कि-

1. शुम्भर जिले की निम्नलिखित पुनर्गठित/पुनर्संयोजित/नवसृजित पंचायत समितियां उस नाम से जानी जायेंगी जो कि नीचे वर्णित अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित हैं;
2. वह स्थानीय क्षेत्र जिस पर इस प्रकार पुनर्गठित/पुनर्संयोजित/नवसृजित और अनुसूची के स्तम्भ 4 में यथानामित पंचायत अधिकांशता का प्रयोग करेगी, ऐसा होगा जैसा कि स्तम्भ 5 में वर्णित है;
3. अनुसूची के स्तम्भ संख्या 4 में यथार्थगति पंचायत समितियों के चुनाव छः माह में पूर्ण करवाने के आदेश किये जाते हैं;
4. और ब्योक्त आदेश से चुनाव के पश्चात् उक्त जिले की विधानमंडल पंचायत समितियां जो अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में वर्णित हैं उस तारीख से ही विद्यमान नहीं रहेगी और कार्य करना बन्द कर देगी जिससे अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित पंचायत समितियों का कार्यकाल प्रारम्भ होगा।

क्र.सं.	वर्तमान ग्राम पंचायत का नाम	वर्तमान ग्राम पंचायत समिति का नाम	पुनर्गठित/पुनर्संयोजित/नवसृजित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित/पुनर्संयोजित/नवसृजित ग्रामों का नाम
1	टोकछिन्नी	1. टोकछिन्नी 2. देवा की डानी 3. गिरधपुर-शाहपुर 4. भवानी 5. भोजनगर 6. शिवनगर 7. टोक डाका की डानी	देवा की डानी	1. गिरधपुर-शाहपुर 2. देवा की डानी 3. भवानी
2	-	-	टोकछिन्नी	1. टोकछिन्नी 2. भोजनगर 3. शिवनगर 4. टोक डाका की डानी
3	परसरामपुरा	1. परसरामपुरा 2. पुजारी की डानी 3. खोखा की डानी 4. खोखा की डानी 5. खोखा का बास 6. मीरपुरा 7. बासन की डानी 8. नया परसरामपुरा	पुजारी की डानी	1. पुजारी की डानी 2. खोखा की डानी
4	-	-	परसरामपुरा	1. परसरामपुरा 2. नया परसरामपुरा 3. खोखा का बास 4. मीरपुरा 5. बासन की डानी

5	विरगा	विरगा	विरगा	1. विरगा 2. पहाड़िया 3. रामपुरा 4. विरगा 5. नोहरा
6	-	-	देवीपुर	1. देवीपुर 2. अम्बरनगर
7	-	-	बगारिया की डानी	1. बगारिया की डानी 2. नवगढ़पुरा 3. धौमा की डानी
8	टोडपुरा	टोडपुरा	टोडपुरा	1. टोडपुरा 2. किराडी 3. नोहरा 4. भगतपुरा 5. देवा की डानी
9	दाधिया नवगाव	दाधिया नवगाव	दाधिया नवगाव	1. जौहड़ की डानी 2. हुनपुरा 3. देवा की डानी 4. कानका की डानी
10	-	-	दाधिया नवगाव (पुं कांका की डानी)	1. कानका की डानी
11	बडवासी	बडवासी	बडवासी	1. बडवासी 2. जयसिंधुपुरा 3. फलेराव नगर
12	कैर	कैर	कैर	1. कैर 2. सुलानपुरा 3. लाह की डानी 4. नील का बास

क्र.सं.	वर्तमान ग्राम पंचायत का नाम	वर्तमान ग्राम पंचायत समिति का नाम	पुनर्गठित/पुनर्संयोजित/नवसृजित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित/पुनर्संयोजित/नवसृजित ग्रामों का नाम
1	मेडाडा जाटवांस	मेडाडा जाटवांस	मेडाडा जाटवांस	1. मेडाडा जाटवांस 2. नया नगर 3. जमालपुर
2	-	-	मेडाडा जाटवांस	1. मेडाडा जाटवांस 2. मेडाडा
3	टोडा	टोडा	टोडा	1. टोडा 2. किशनपुरा 3. जमालपुर 4. दागी इलाखर
4	मानोता कला	मानोता कला	मानोता कला	1. मानोता कला 2. धनदडा 3. दागी नजानवाली 4. मानोता खुर्द 5. झुझापुरा
5	राजोता	राजोता	राजोता	1. राजोता 2. तिहाडा 3. विरनी 4. लंगरियावाला 5. झुझापुरा
6	गाडराटा	गाडराटा	गाडराटा	1. गाडराटा 2. अजीतपुरा 3. प्रतिभा नगर 4. झुझापुरा 5. झुझापुरा
7	रखलपुर	रखलपुर	रखलपुर	1. रखलपुर 2. ताल 3. डुरका

8	पुपुरना	1. पुपुरना 2. बन्धा की डाणी 3. मोडकी	पुपुरना	1. पुपुरना 2. बन्धा की डाणी 3. मोडकी
9	-	-	रामभुमपुर	1. रामभुमपुर 2. कातो पहाडी 3. लालगढ
10	-	-	सजय नगर	1. सजय नगर 2. अजय नगर 3. अजीतपुर

क्र.सं.	वर्तमान ग्राम पंचायत का नाम	वर्तमान ग्राम पंचायत से सम्मिलित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित/ पुनर्संयोजित/ नवसृजित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित/ पुनर्संयोजित/ नवसृजित ग्रामों का नाम
1.	अडूका	1. अडूका 2. डालमिया की डाणी 3. माहमों की डाणी 4. जैतानों की डाणी	डालमिया की डाणी	1. डालमिया की डाणी 2. जैतानों की डाणी
2.	-	-	अडूका	1. अडूका 2. ब्राह्मण की डाणी
3.	ताल्	1. ताल् 2. पानगावा 3. वनगावा 4. डगर 5. इस्माइलपुर 6. सिद्धाना	ताल्	1. ताल् 2. वनगावा 3. डगर 4. इस्माइलपुर
4.	किडवाना	1. किडवाना 2. पारस नगर	किडवाना	1. किडवाना 2. पारस नगर
5.	जाखोद	1. जाखोद 2. कुशलपुरा 3. पन्तिलपुरा 4. बिरनपुरा 5. चादूसिंहपुरा 6. नंतरामपुरा 7. सुडनपुरा 8. राजडीपुरा	जाखोद	1. जाखोद 2. कुशलपुरा 3. बिरनपुरा 4. चादूसिंहपुरा 5. नंतरामपुरा 6. सुडनपुरा 7. राजडीपुरा
6.	महापलवास	1. महापलवास 2. कुलेश खुर्द	महापलवास	1. महापलवास 2. कुलेश खुर्द 3. पन्तिलपुरा

क्र.सं.	वर्तमान ग्राम पंचायत का नाम	वर्तमान ग्राम पंचायत से सम्मिलित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित/ पुनर्संयोजित/ नवसृजित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित/ पुनर्संयोजित/ नवसृजित ग्रामों का नाम
1.	दुडिया	1. दुडिया 2. टोडी	दुडिया	1. दुडिया
2.	-	-	टोडी	1. टोडी
3.	गुडगाँवकी	1. गुडगाँवकी 2. डानी खरवासा 3. डानी बडकी 4. डानी खंदवा 5. डानी कनिका	गुडगाँवकी (पुं डानी खंदवा)	1. डानी खरवासा 2. डानी बडकी 3. डानी खंदवा 4. डानी कनिका
4.	-	-	गुडगाँवकी	1. गुडगाँवकी
5.	मोडकी	1. मोडकी 2. गुडगाँवकी का बास 3. डूडी नगर 4. गिली का बास 5. गादारी का बास	गुडगाँवकी (पुं गडदारी का बास)	1. गडदारी का बास 2. डूडी नगर 3. गिली का बास 4. मोदारी का बास

6	-	-	मोडकी	1. मोडकी
7	मणकसास	1. मणकसास 2. एलीपुरा 3. जोह 4. अडवाना	मणकसास	1. मणकसास 2. एलीपुरा 3. जोह 4. अडवाना
8	जहाल	1. जहाल 2. नावता 3. अडवाना	जहाल	1. जहाल 2. नावता

क्र.सं.	वर्तमान ग्राम पंचायत का नाम	वर्तमान ग्राम पंचायत से सम्मिलित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित/ पुनर्संयोजित/ नवसृजित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित/ पुनर्संयोजित/ नवसृजित ग्रामों का नाम
1.	सिंधाना	1. सिंधाना 2. ठाणा	सिंधाना	1. सिंधाना
2.	-	-	ठाणा	1. ठाणा

राज्यपाल की आका से,

(राजेश यादव)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिनिधि निम्न को स्वयं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, महानगर राज्यपाल महोदय राजस्थान।
2. शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव राजठ जयपुर।
6. समस्त संन्याय आयुक्त राजस्थान।
7. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलेक्टर।
9. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रकाशनाई।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पब्लिक- समस्त।
11. सही पत्रावली।

उप शासन सचिव (सिंधी)